

30/07/2020

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक चरण बोदरा, पिता- स्व० गंगा राम बोदरा, ग्राम-तमाड़बाँध, थाना-मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०-125, खाता नं०-14, प्लॉट नं०- 583, रकवा- 0.19 एकड़ भूमि क्रेता साधु चरण पुरती, पिता- स्व० कारेया पुरती, ग्राम-करलाजोड़ी, जुम्बलसाई थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम से हालसर्वे खातियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-547, दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि घर मरम्मत एवं अन्य खर्च हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता साधु चरण पुरती, पिता- स्व० कारेया पुरती, ग्राम-करलाजोड़ी, जुम्बलसाई थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.20 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक आवेदक चरण बोदरा, पिता- स्व० गंगा राम बोदरा, ग्राम- तमाड़बाँध, थाना-मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम ने क्रेता साधु चरण पुरती, पिता- स्व० कारेया पुरती, ग्राम-करलाजोड़ी, जुम्बलसाई, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास 7,80,000.00 (सात लाख अस्सी हजार)रुपया मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०-125, खाता नं०-14, प्लॉट नं०- 583, रकवा- 0.19 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की..... अनुमति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा